न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर०सी० वाद सं०– 15/2015–16

राम प्रवेश साह वगैरह

बनाम

लक्ष्मी [illegible] वगैरह

आदेश

प्रस्तुत [illegible] वाद आवेदकगण राम प्रवेश साह, पिता– स्व० [illegible] साह वगैरह, ग्राम– [illegible], थाना– [illegible], जिला– [illegible] (बिहार) को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को [illegible] भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं। आवेदक से आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी [illegible] से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर [illegible] के कारण पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं०	[illegible] नं०	रकबा
हाथीगढ़	08	58	05–05–03
		202	00–08–09
		206	00–03–00
		207	00–04–05
		218	01–02–08
		219	02–16–17
		220	00–03–01
		210 / 211	00–03–13
कुल रकबा			06–02–05

आज आवेदक उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से वकालतनामा हाजरी है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि उक्त वर्णित जमीन का खतियानी रैयत मोसम्मात मुन्द्रिया, पति– मन्दन [illegible] है जो आवेदकगण के परदादी हैं। आवेदकगण के उक्त 06 बीघा 02 कट्ठा 05 धूर जमीन दाखिल कोह कैसर हिन्द है। जिसकी खरीद–बिक्री नहीं होती है। उक्त जमीन के लगान का भुगतान आवेदकगण ही करते आ रहे हैं एवं खतियानी रैयत मोसम्मात मुन्द्रिया के नाम से ही जमीन का लगान रसीद काटते आ रहा है। आवेदकगणों का विपक्षीगण के साथ दूर–दूर तक का भी रिश्तेदार नहीं है, किन्तु ईलाके का दबंग एवं बाहुबली व्यक्ति होने के कारण लाठी के बल पर आवेदकगणों के उक्त जमीन को दखल कर रखे हुआ है एवं जबरदस्ती चास–आबाद करता है। आवेदकगण जब अपने उक्त जमीन पर चास–आबाद करने जाता है तो विपक्षीगण खुले आम धमकी देता है कि अगर जमीन पर आओगे तो जान से हाथ धोना होगा। विपक्षीगण के पास न तो उक्त जमीन का कोई कागजात है और न ही खतियानी रैयत के वंशज से आते हैं।

अतः आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने का

अनुरोध किये हैं।

जवाब में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा हाथीगढ़ के जमाबंदी नं0– 08 के दाग नं0– 219 की जमीन भूदान यज्ञ दान पत्र द्वारा दिनांक 17.03.1973 को प्राप्त हुआ है। विपक्षी लक्ष्मी यादव को भूदान यज्ञ दान पत्र द्वारा दिनांक 17.03.1973 को मौजा हाथीगढ़ के जमाबंदी नं0– 08 के दाग नं0– 219 का आंशिक रकबा 24 डिसमिल जमीन विपक्षी विक्रम यादव को 24 डिसमिल, विपक्षी देवनारायण यादव को 18½ डिसमिल एवं विपक्षी हरिद्वार यादव को 18½ डिसमिल जमीन भूदान यज्ञ दान पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। तबसे भूदान यज्ञ दान पत्र द्वारा प्राप्त जमीन पर अपने–अपने रकबा पर सभी विपक्षीगण का दखल कब्जा है। इस प्रकार मौजा हाथीगढ़ के जमाबंदी नं0– 08 के दाग नं0– 219 का आंशिक रकबा क्रमशः 24 डिसमिल, 24 डिसमिल, 18½ डिसमिल एवं 18½ डिसमिल जमीन को छोड़कर बाकी जमीन पर विपक्षीगण का किसी भी प्रकार का कोई दावा नही है। विपक्षी क्रमांक 02 गंगाराम पुरी को प्रधानी पट्टा के आधार पर मौजा हाथीगढ़ के जमाबंदी नं0– 08 का दाग नं0– 218 एवं 219 में रकबा 02 बीघा जमीन प्राप्त हुआ है, जिसपर मिट्टी एवं पक्के का मकान बनाकर स्थायी रूप से अपने बाल–बच्चों सहित निवास करते आ रहे हैं तथा विपक्षी सं0 03 सुरज यादव के पिता स्व0 शिवनारायण यादव के नाम से भी प्रधानी पट्टा निर्गत किया गया है, जिसके आधार पर उक्त जमाबंदी के रकबा 15 कट्ठा 14 धूर जमीन का रसीद वर्ष 1996 के पूर्व से ही प्राप्त करते आ रहे हैं तथा सरकार को खजाना देकर रसीद प्राप्त कर रहे हैं। विपक्षीगण गरीब एवं भूमिहीन होने के कारण प्रधानी पट्टा दिया गया है, जिसके आधार पर निवास कर रहे हैं।

अतः विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को खारिज करने अनुरोध किये है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 01/रा0, दिनांक 02.01.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा हाथीगढ़, थाना नं0– 02, बंगला महाराजपुर के अंतर्गत चिरागी, प्रधानी एवं अहस्तांतरणीय मौजा है। उक्त मौजा हाथीगढ़ के जमाबंदी नं0– 08, दाग नं0– क्रमशः 55, 202, 206, 207, 218, 219, 226 एवं 210/311, रकबा क्रमशः 01–01–03, 00–08–09, 00–03–00, 00–04–05, 01–02–08, 02–16–17, 00–03–01 एवं 00–03–13 किस्म क्रमशः बाड़ी, आवल, शहन, मकान, बाड़ी सोयम, बाड़ी आवल, कुल रकबा 06 बीघा 02 कट्ठा 05 धूर जमीन मो0 गुन्दिया, पति नन्द कुमार राय, कौम घटवाल, सा0– देह नकल खतियान स्लीप में दर्ज है। स्थानीय जाँच के क्रम में मौजा के प्रधान एवं ग्रामीण लालजी उराँव, झब्बु उराँव, एतवा उराँव, विजय मिंज, अजीत उराँव, सिरीवा मोसमात एवं मुरारी चौधरी, सा0– हाथीगढ़ से पुछ–ताछ करने पर बताया गया कि जमाबंदी नं0– 08 के खतियानी रैयत मृत है तथा इनका कोई भी वारिसान वर्तमान में यहाँ नही रहते हैं। मौजा के प्रधान द्वारा बताया गया कि जमाबंदी नं0– 08 का राजस्व लगान जमाबंदी रैयत या उनके वर्तमान वारिशान द्वारा कभी भी नही दिया गया है। जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदकगण एवं अंचल कार्यालय मनिहारी से निर्गत वंशावली से संबधित व्यक्तियों से जाँच के समय सम्पर्क नही हो सका। वर्तमान में वे लोग मजबुरटोला मनिहारी (बिहार) में रहते हैं। ऐसी स्थिति में सुनवाई के दौरान सूचना निर्गत की जा सकती है। मौजा के प्रधान एवं उपरोक्त ग्रामीणों से जाँच के क्रम में पुछ–ताछ से पता चला कि उक्त जमीन विपक्षीगण के द्वारा दखल कर लेने से विवाद है। उक्त खतियानी रैयत के साथ विपक्षीगण का कोई संबंध नही है। चूंकि खतियान के अनुसार उक्त जमीन घटवाल जाति की है तथा मौजा अहस्तांतरणीय है। पूर्व में आवेदकगण द्वारा अंचल अधिकारी, मनिहारी जिला कटिहार (बिहार) के द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र सं0 143, दिनांक 24.08.2015 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। जिसका अवलोकन किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच उक्त जमीन को विवाद है।

पुनः अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 486/रा0, दिनांक 10.08.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पुनः अंचल अधिकरी ने प्रतिवेदित किये हैं कि उक्त आवेदन में वर्णित जमीन संबंधी कागजात की छाया प्रति आवेदकगण के द्वारा जाँच के क्रम में प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से पता ... 219 का रकबा 0.24 डिसमिल जमीन बिहार

Scanned with CamScanner

भूदान यज्ञ कमिटि/जिला भूदान कार्यालय देवघर (सं0प्र0) के प्रतिनिधि द्वारा क्रम सं0 5522, दिनांक 17.03.1973 विक्रम यादव पिता शिवनाथ यादव, सा0– हाथीगढ, उसी प्रकार दाग नं0– 219 का रकवा 0.24 डिसमिल जमीन क्रम सं0 5521 दिनांक 17.03.1973 द्वारा हरिवंश यादव, पिता– शिवनाथ यादव, सा0– हाथीगढ को प्राप्त है। जाँच के क्रम में आवेदक के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटि का पट्टा की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जो दाग नं0– 218, रकवा 0.18½ डिसमिल जमीन देवचरण यादव, पिता– शिवनाथ यादव एवं दाग नं0– 218, रकवा 0.18½ डिसमिल जमीन हरिद्वार यादव, पिता– शिवनाथ यादव, सा0– हाथीगढ के नाम से हैं, लेकिन दाग नं0– 218 के संबंध में उक्त आवेदन पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त दोनों भूदान यज्ञ दान पत्र के दाता मो0 गुन्दिया, पति– नन्हे राय सा0– हाथीगढ का नाम अंकित है। जो खतियानी रैयत है। जाँच के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि खतियानी रैयत वर्तमान में जीवित नहीं है। जाँच के क्रम में आवेदक द्वारा उक्त भूदान पट्टा सम्पुष्ट नहीं होने के संबंध में बताया गया। जाँच के क्रम में ग्रामीणों द्वारा पुछ–ताछ से पता चला कि आवेदन में वर्णित जमीन आवेदकों के दखल में है।

आवेदकगण की ओर से अपने दावे के समर्थन में मौजा हाथीगढ के जमाबंदी नं0– 08 के खतियान स्लीप की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से अपने दावे के समर्थन में प्रधानी पट्टा, लगान रसीद, राजस्व विविध वाद सं0 61/91–92 काली उरॉव–बनाम–शिवनारायण यादव एवं भूदान यज्ञ दान पत्र पट्टा की छाया प्रति समर्पित किये हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी के द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशवृक्ष से आते हैं। विपक्षीगण भू–दान पट्टा के माध्यम से विवादित भूमि पर दावा करते है। परन्तु अंचल अधिकारी ने स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किये हैं कि पट्टा सम्पुष्टि की कार्रवाई नही किये हैं।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(1) में यह स्पष्ट है कि दान (Gift) के माध्यम से भूमि हस्तांतरण तब तक संभव नहीं है जब तक Record of Right में हस्तांतरण का अधिकार वर्णित न हो।

अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 (धारा 20 तथा धारा 64 के साथ पठित) के अंतर्गत विपक्षियों को उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner